

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांक:प.2/लेखा-1/यो./बजट/2016-17/12472-79

दिनांक: 3/6/16

आंचल प्रसूता केन्द्र योजना हेतु बजट आवंटन

शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक:प.18(6)आयु./2016 दिनांक 23-05-16 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में नये आंचल प्रसूता केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन चिकित्सालयों में आंचल प्रसूता केन्द्र खोलने हेतु बजट मद 2210-02-101-(02)-[01]-आयोजना व्यय में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है:-

(राशि लाखों में)

कार्यालय कोड नम्बर	आंचल प्रसूता केन्द्र का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी	18-मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र	60-भैषज और औषधियाँ	61-खाद्य सामग्री
12752	राज. आयु. औष आमेर-राजसमन्द	जिला आयु. अधिकारी, राजसमन्द	0.60	2.00	1.00
17810	राज.आयु.चिकि. प्रतापगढ	राज.आयु.चिकि. प्रतापगढ	0.60	2.00	1.00
6544	राज. आयु. औष खुडाला-पाली	जिला आयु. अधिकारी, पाली	0.60	2.00	1.00

1. उपरोक्तानुसार राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे।
2. प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रचर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. प्रावधित राशि का उपयोग आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमान्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।

  
वित्तीय सलाहकार,

क्रमांक:प.2/लेखा-1/यो./बजट/2016-17/12472-79

दिनांक: 3/6/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सम्बन्धित आहरण एवं वित्तरण अधिकारी ....
3. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर/जोधपुर।
4. प्रभारी, सांख्यिकी/लेखा-4, कार्यालय हाजा।

5. कार्यालय, अजमेर, राजस्थान के वित्तीय सलाहकार को प्रेषित है।

  
वित्तीय सलाहकार,